म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड

26, अरेरा हिल्स, किसान-भवन, जेल रोड, भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/स्वी/विविध/760/74 भोपाल, दिनांक 25/04/2016

प्रति,

सचिव, (समस्त)
कृषि उपज मण्डी समिति,
.... जिला .... (म.प्र.)

विषयः- कृषि उपज मण्डी समितियों के प्रांगण में अंशकालीन साफ-सफाई की आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु ठेकेदार/एजेन्सी नियुक्त किये जाने के संबंध में।

-0-

उपरोक्त विषयान्तर्गत कार्यालयीन पत्र क्रमांक/मण्डी/8/प्रां/संपदा/1483-1484 दिनांक-30.12.1999 एवं पत्र क्रमांक/बोर्ड/स्वी./7-1/820 दिनांक-11.1.2012 द्वारा कृषि उपज मण्डी समितियों के भवन/प्रांगण/परिसर की अंशकालीन साफ-सफाई हेतु ठेकेदार/एजेन्सी को नियुक्त करने के संबंध में ठेके की प्रमुख शर्तो का निर्धारण किया गया था। **उक्त जारी दिशा निर्देशों को अधिकमित करते हुये** तथा वर्तमान परिस्थिति को देखते हुये अंशकालीन साफ-सफाई हेतु ठेकेदार को नियुक्त करने के संबंध में ठेके की प्रमुख शर्ते निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :-

01. कृषि उपज मण्डी समितियों के भवन/प्रांगण/परिसर की अंशकालीन साफ-सफाई के लिये लगने वाले सफाई कर्मियों का आकलन प्रांगण के कार्यक्षेत्र के आधार पर जैसे- पानी निकासी, कचरा सफाई, भूमिगत नाली, शौचालयों की सफाई आदि के लिये प्रत्येक पाली में लगने वाले कर्मचारियों की संख्या के आधार पर किया जाये। साथ ही अनाज मण्डी, फल सब्जी मण्डी में लगने वाले कर्मियों का पृथक-पृथक आकलन किया जावे।

02. साफ सफाई की आवश्यकता हेतु झाडू, फिनायल आदि में वार्षिक क्या व्यय होगा ? उसकी भी गणना कर एक अनुमानित प्राक्कलन तैयार किया जावे।

03. इसप्रकार साफ सफाई हेतु सफाई कर्मियों, सामग्री तथा परिवहन पर लगने वाले व्यय के आधार पर एकजाई प्राक्कलन तैयार कर प्रस्ताव आंचलिक कार्यालय को प्रेषित किया जावे। अपर/संयुक्त/उपसंचालक आंचलिक कार्यालयों द्वारा मण्डी समिति से प्राप्त प्रस्ताव एवं प्राक्कलन का सुक्ष्म परीक्षण कर आवश्यक होने पर संशोधन करने के निर्देश संबंधित मण्डी समिति को दे सकेगे तथा परीक्षण करते समय यह भी ध्यान रखेगे कि मण्डी में पूर्व 03 वर्षो में साफ सफाई की क्या दर रही है ? तथा कितना व्यय हुआ है ?

04. उपरोक्तानुसार आंचलिक कार्यालय के परीक्षण उपरांत प्राप्त प्राक्कलन के अनुसार निविदा की कार्यवाही की जावे।

SWK_8

501

05. निविदायें क्षेत्र के कम से कम 02 प्रमुख स्थानीय समाचार पत्रों में 21 दिवस (03 सप्ताह) पूर्व विज्ञापन जारी कर आमंत्रित की जावे। किसी भी स्थिति में 02 से कम समाचार पत्रों की निविदा मान्य योग्य नही होगी।

06. निविदा तीन लिफाफा पद्धति से आमंत्रित की जावेगी। जिसमें से एक लिफाफे में ठेके से संबंधित आवश्यक दस्तावेज (तकनीकी BID) एवं दूसरे लिफाफे में निविदा की दरे (वित्तीय BID) रखी जावेगी। उक्त दोनो लिफाफे एक तीसरे लिफाफे में रखे जावेगे। सर्वप्रथम तकनीकी लिफाफा खोला जावेगा। निविदा के संबंध में समस्त दस्तावेज चेक करने के उपरांत ही वित्तीय दरें (BID) खोली जावेगी। ठेकेदार द्वारा साफ सफाई ठेके की प्रतिमाह की तथा प्रतिवर्ष की दरे निविदा प्रपत्र में अंकित की जावेगी। यदि निविदा के आवश्यक दस्तावेज/अभिलेख गलत पाये जाते है तो उसकी दरे नही खोली जावेगी।

07. निविदा में ठेके की अवधि एक वर्ष की रखी जावे। जिसे कार्य संतोषजनक होने पर **केवल एक बार एक वर्ष की समय सीमा तक** के लिये आपसी सहमती द्वारा बढाया जा सकेगा। साफ-सफाई के कार्य में लापरवाही अथवा समय पर सफाई कार्य नही करने की दशा में अथवा शर्तो का उल्लंघन पाये जाने पर किसी भी समय 15 दिवस का नोटिस देकर ठेका निरस्त किया जा सकेगा एवं जमा अर्नेस्ट मनी राजसात कर ली जावेगी। जिसमें होने वाले अधिक व्यय या अतिरिक्त व्यय की वसूली संबंधित संस्था/व्यक्ति से की जावेगी।

08. ठेकेदार को प्रांगण/परिसर की सम्पूर्ण साफ-सफाई जिसमें पानी निकासी, कचरा सफाई, भूमिगत नालियों की सफाई, शौचालय एवं मुत्रालय की सफाई, आदि की सम्पूर्ण जिम्मेदारी नियमित रूप से सुनिश्चित करना होगी।

09. प्रांगण में झाडू, फिनायल, ट्राली तथा परिवहन इत्यादि समग्र आवश्यक व्यवस्था स्वंय ठेकेदार को अपने साधनों से सुनिश्चित करना होगी। निविदा स्वीकृति के समय अनुमानित प्राक्कलन की प्रति भी अनिवार्य रूप से भेजी जावे।

10. ठेकेदार द्वारा साफ-सफाई हेतु स्वंय के स्तर से कामगार (सफाईकर्मी) रखे जावेगे। साफ सफाई कर्मचारियों को नीली समान वर्दी में उपस्थित रहकर ही कार्य करना होगा जो उन्हे ठेकेदार द्वारा प्रदाय की जावेगी। सफाई कर्मियों को समस्त प्रकार के भुगतान नियमानुसार स्वंय ठेकेदार को करने होगे।

11. मण्डी समिति के भवन/प्रांगणों का निरीक्षण किये जाने के उपरांत गंदगी पाई जाती है तो मण्डी सचिव द्वारा उक्त दिन का पारिश्रमिक ठेकेदार से काटा जाये तथा प्रथम बार में रूपयें 1,000/- का अर्थदण्ड, द्वितीय बार में पुनरावृत्ति होने पर रूपयें 2,000/- का अर्थदण्ड तथा तीसरी बार पुनरावृत्ति होने पर रूपयें 4,000/- का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाये। इसके पश्चात पुनरावृत्ति होने पर ठेका निरस्त करने की कार्यवाही की जाये।

12. ठेके का आवंटन सक्षम अनुभवी तथा निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करने वाले एवं न्यूनतम निविदा प्रस्तुत करने वाले एवं समस्त नियमों का पालन करने वाले ठेकेदार को किया जा सकेगा।

13. ठेके का कार्य किसी भी स्थिति में अन्य व्यक्ति/फर्म को हस्तान्तरण नही होगा तथा ठेके की स्वीकृति राशि के अलावा अन्य किसी भी प्रकार की राशि का पारिश्रमिक का भुगतान पृथक से नही किया जावेगा।

14. ठेके से संबंधित किसी भी प्रकार का विवाद होने पर अंतिम निर्णय का अधिकार संबंधित अपर/संयुक्त/उपसंचालक आंचलिक कार्यालयों को रहेगा।

15. मण्डी समितियों के भवन/प्रांगण/परिसर की साफ-सफाई हेतु आमंत्रित निविदा में प्राप्त न्यूनतम निविदा दर का अनुमोदन मण्डी समिति अपनी बैठक में प्राप्त करेगी।

16. ठेकेदार को विधिक प्रावधानों का पालन करना अविार्य होगा।

17. ठेके का विधिवत अनुबंध ठेकेदार एवं मण्डी समिति के मध्य निविदा की शर्तो के अनुरूप संपादित करना होगा एवं ठेका स्वीकृत करते समय शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों, आदेशों एवं विधियों का पालन भी सुनिश्चित किया जावे। इसे प्राथमिकता दिया जाना होगा।

18. राशि रूपयें 25,000/- प्रतिमाह व्यय तक के ठेके की स्वीकृति हेतु कृषि उपज मण्डी समिति स्वंय सक्षम होगी। इससे अधिक राशि रूपयें 50,000/- तक प्रतिमाह के ठेके की स्वीकृति हेतु अपर/संयुक्त/उपसंचालक आंचलिक कार्यालय सक्षम होगे तथा इसके अधिक होने पर मुख्यालय द्वारा स्वीकृति प्रदान की जावेगी। मुख्यालय को भेजे जाने वाले प्रस्ताव आंचलिक कार्यालय के माध्यम से (जिस पर अपर/संयुक्त/उप संचालक का स्पष्ट अभिमत/अनुशंसा उपरांत) भेजे जावेगे।

उपरोक्त निर्देशों का कढ़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

प्रबंध संचालक
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/स्वी/विविध/760/ 75 भोपाल, दिनांक 25/04/2016

प्रतिलिपि:-

(1) मुख्य अभियंता, म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल।
(2) संयुक्त संचालक **(प्रांगण)** म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल।
(3) अपर/संयुक्त/उप संचालक, म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय, ... **(समस्त)**।

प्रबंध संचालक
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

//अनुबंध//

यह करार नामा श्री ....(ठेकेदार) एवं सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति,.....................जिला .... के बीच मण्डी प्रांगण/परिसर, कार्यालयीन भवन इत्यादी की साफ सफाई हेतु दिनांक .... को एक वर्ष की अवधि के लिये निम्न शर्तो के अधीन अनुबंध निष्पादित किया जाता है:-

01 ठेकेदार को मण्डी प्रांगण/परिसर/उपमण्डी प्रांगण की सम्पूर्ण साफ-सफाई जिसमें पानी निकासी, कचरा सफाई, भूमिगत नालियों की सफाई, शौचालय एवं मुत्रालय की सफाई, आदि की सम्पूर्ण जिम्मेदारी नियमित रूप से सुनिश्चित करना होगी।

02 प्रांगण में झाडू, फिनायल, ट्राली तथा परिवहन इत्यादि समग्र आवश्यक व्यवस्था स्वंय ठेकेदार को अपने साधनों से सुनिश्चित करना होगी।

03 ठेकेदार द्वारा साफ-सफाई हेतु स्वंय के स्तर से कामगार (सफाईकर्मी) रखे जावेगे। साफ सफाई कर्मचारियों को खाकी/नीली समान वर्दी में उपस्थित रहकर ही कार्य करना होगा जो उन्हे ठेकेदार द्वारा प्रदाय की जावेगी। सफाई कर्मियों को समस्त प्रकार के भुगतान नियमानुसार स्वंय ठेकेदार को करने होगे।

04 ठेकेदार की जवाबदारी रहेगी कि किसी भी सफाईकर्मी के अवकाश व बीमारी की स्थिति में तत्काल नये कर्मचारी की व्यवस्था करे।

05 यह कि कोई सफाई कर्मचारी किसी गैर कानूनी कार्य कलाप में लिप्त पाया जाता है व उसके द्वारा अभद्रता की जाती है या किसी सामान की चोरी करता है या चोरी की शंका होती है तो ऐसी स्थिति में मण्डी समिति को अधिकार रहेगा कि ऐसे सफाई कर्मी को तत्काल परिसर से हटा दे एवं इसप्रकार मण्डी समिति को हुई क्षति की प्रतिपूर्ति ठेकेदार को करनी होगी। ऐसी राशि ठेकेदार को भुगतान की जाने वाली राशि से वसूल की जा सकेगी।

06 यह कि साफ सफाई के दौरान कार्य में उदासीनता बरतने एवं निर्धारित कार्य न होने के कारण मण्डी समिति को शास्ति के तहत आर्थिक दण्ड/कटौत्रा देयकों में करने का अधिकार होगा।

07 परिसर के महिला शौचालयों एवं यूरिनलों की सफाई हेतु महिलाकर्मी रखना अनिवार्य होगा।

08 यह कि ठेकेदार द्वारा सफाई कर्मियों का एक उपस्थिति रजिस्टर संधारण किया जावेगा। मासिक उपस्थिति का सत्यापन प्रांगण प्रभारी के या उसके उपर के अधिकारी द्वारा करने के उपरांत ही भुगतान देय होगा।

09 मण्डी समिति के भवन/प्रांगणों का निरीक्षण किये जाने के उपरांत गंदगी पाई जाती है तो मण्डी सचिव द्वारा उक्त दिन का पारिश्रमिक ठेकेदार से काटा जाये तथा प्रथम बार में रूपयें 1,000/- का अर्थदण्ड, द्वितीय बार में पुनरावृत्ति होने पर रूपयें 2,000/- का अर्थदण्ड तथा तीसरी बार पुनरावृत्ति होने पर रूपयें 4,000/- का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जावेगा। इसके पश्चात पुनरावृत्ति होने पर ठेका निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।

10 ठेके का कार्य किसी भी स्थिति में अन्य व्यक्ति/फर्म को हस्तान्तरण नही होगा तथा ठेके की स्वीकृति राशि के अलावा अन्य किसी भी प्रकार की राशि का पारिश्रमिक का भुगतान पृथक से नही किया जावेगा।

11 ठेके से संबंधित किसी भी प्रकार का विवाद होने पर अंतिम निर्णय का अधिकार संबंधित अपर/संयुक्त/उपसंचालक आंचलिक कार्यालयों को रहेगा।

12 ठेकेदार को विधिक प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा।

13 निविदा में ठेके की अवधि एक वर्ष की होगी। जिसे कार्य संतोषजनक होने पर **केवल एक बार एक वर्ष की समय-सीमा तक** के लिये आपसी सहमती द्वारा बढाया जा सकेगा। साफ-सफाई के कार्य में लापरवाही अथवा समय पर सफाई कार्य नही करने की दशा में अथवा शर्तो का उल्लंघन पाये जाने पर किसी भी समय 15 दिवस का नोटिस देकर ठेका निरस्त किया जा सकेगा एवं जमा अर्नेस्ट मनी राजसात कर ली जावेगी। जिसमें होने वाले अधिक व्यय या अतिरिक्त व्यय की वसूली संबंधित संस्था/व्यक्ति से की जावेगी।

उक्त अनुबंध में वर्णित शर्तो को स्वस्थ्य चित्त से दोनो पक्षों द्वारा स्वीकार कर अपने-अपने हस्ताक्षर गवाहों के समक्ष आज दिनांक .... को कर दिये कि सनद रहे एवं वक्त जरूरत पर काम आवे।

स्थान – ....

दिनांक – ....

(1) पक्ष कमांक–1

....

....

....

(सफाई ठेकेदार)

(2) पक्ष कमांक–2

....

....

....

सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति
............जिला ....

कार्यालय, कृषि उपज मण्डी समिति,..........जिला................(म0प्र0)

क्रमांक/मण्डी/ दिनांक................

:: निविदा विज्ञप्ति ::

कृषि उपज मण्डी समिति..............जिला...................(म0प्र0) के मण्डी प्रांगण/परिसर/उपमण्डी प्रांगण मे स्थित भवन, शौचालय, मुत्रालय, आंतरिक एवं बाह्य सडके, निकासी नालिया, नीलामी प्लेटफार्म, पार्किंग आदि की सम्पूर्ण साफ सफाई एवं कूडा कचरा उठाने के कार्य की व्यवस्था के लिए निविदाये आमत्रिंत की जाती है। साफ सफाई एजेन्सी निविदा प्रपत्र एवं निविदा की शर्ते कार्यालीयन दिवस एवं समय में दिनांक .... से .... तक (21 दिवस) मण्डी समिति में राशि रूपयें......................... (रूपयें..................) नगद जमा कर प्राप्त कर सकती है। निविदाये जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक .... अपरान्ह समय 3.00 बजे तक ही रहेगी। प्राप्त निविदाये इसी दिनांक .... को ही सायंकाल 4.00 बजे उपस्थित निविदाकर्ताओं के समक्ष खोली जायेगी। साफ सफाई हेतु निर्धारित शर्तो एवं न्यूनतम वांछनीय आवश्यकताओं तथा अन्य जानकारी का अवलोकन मण्डी कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है। निविदा स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का अधिकारी मण्डी समिति के पास सुरक्षित रहेगा, जिसके लिये कारण बताना अनिवार्य नही होगा।

अध्यक्ष, मण्डी समिति,........... सचिव, मण्डी समिति,.........